

आज्ञापन :- जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी, कुश्मोत्र
 आदेश क्रमांक :- स्वी-2000/1052-54 दिनांक :- 15-12-2000

शहीद भगत सिंह 8/5 वरोट

मान्यता कक्षा पहली से पांचवी तक की प्रदान की जाती है। जिसके लिए संस्था/विद्यालय को निम्नलिखित शर्तों का पालना करनी होगी:-

- 1- विद्यालय को शिक्षा संहिता की धारा 214 की सभी शर्तों की दृढ़ता से पालना करना होगा।
- 2- विद्यालय सरकार से किसी भी प्रकार की ग्रांट/नियुक्तियों इत्यादि की मांग नहीं करेगी।
- 3- भाविष्य में विद्यालय में किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने की स्थिति में विद्यालय की मान्यता रद्द कर दी जायेगी।
- 4- भाविष्य में विद्यालय में हुई डेंड अध्यापकों की नियुक्ति करेगा।
- 5- लेखा सम्बन्धित एवं अन्य कार्यालय का मेनटेन रखेगा। उसमें कोताही पाये जाने की स्थिति में मान्यता रद्द कर दी जायेगी।
- 6- यदि विद्यालय में बैन/गाड़ी इत्यादि किसी भी प्रकार का वाहन इत्यादि गच्चों की लाने जाने के लिए रखा हुआ है तो गच्चों की सुरक्षा की जिम्मेवारी विद्यालय/संस्था की रहेगी। साथ ही विद्यालय नियमित कुम्हार नाना हरियाणा सरकार की सभी शर्तों की पालना करेगा।
- 7- फाइलों के होयर का 0 गि 0310 लाइव के कार्यालय में जमा करेगा।

जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी,
 कुश्मोत्र।

प्रतिलिपि

प्रति निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1- निदेशक प्राथमिक शिक्षा हरियाणा चण्डीगढ़।
- 2- जिला शिक्षा अधिकारी लाइव
- 3- सम्बन्धित विद्यालय।
शहीद भगत सिंह
8/5 वरोट

जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी,
 कुश्मोत्र।

भाषा क्रमांक:- स्टैनों-99/504-06

दिनांक:- 3-11-99

विषय:- वर्ष 1999-2000 के लिए अस्थापनी मान्यता प्रदान करने हेतु।

.....

शहीद भगत सिंह पाठशाला बरोट

को कक्षा पहली

से पांचवी तक को अस्थापनी मान्यता वर्ष 1999-2000 के लिए निम्न शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

- 1- स्कूल में भवन की ओर व्यवस्था की जाए।
- 2- अध्यापक पूर्णविवृत होने चाहिए, लगाए जाए।
- 3- स्कूल में बोल के पैमान का उचित प्रवर्धन किया जाए।
- 4- स्कूल को किसी प्रकार के भूदान/वित्तिय सहायता नहीं दी जायेगी। न ही वित्तिय सहायता के लिए कलेस करेगा।
- 5- सभी कर्मों को स्कूल से विभाग/प्राध्यापक बोर्ड द्वारा नियुक्ति पुस्तक दी जाये।
- 6- संस्था में किसी भी समय किसी प्रकार को अनियमितता पाये जाने की स्थिति में मान्यता भंग कर दी जायेगी। संस्था सरकार द्वारा जारी सभी दिशानिर्देशों का पूर्णतया पालन करेगी।
- 7- संस्था शिक्षक कार्या में विरोध नहीं रखेगी।
- 8- बच्चों की सुरक्षा, स्वच्छता, स्वास्थ्य, प्रगति, चारे ध्यान रखा जाए।

जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी,
कुरुक्षेत्र।

प्रतिकृति

प्रति निम्नलिखित को सूचनाएँ एवं भाषणक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1- निदेशक प्राथमिक शिक्षा, हरियाणा चण्डीगढ़।
- 2- चण्ड शिक्षा अधिकारी, लाहवा
- 3- प्रमुख निदेशक शिक्षा शहीद भगत सिंह पाठशाला बरोट

जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी,
कुरुक्षेत्र।